अगोपनीय



केस आईडी: AD/AA/001/2026 एवं AD/AA/002/2026

(मूल मामला सं. AD (OI)-06/2021)

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 और अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुसरण में, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अर्ध-तैयार नेत्र लेंस" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्रतिप्रेषण कार्यवाही

अगोपनीय

विषय सूची

क. मामले की पृष्ठभूमि 5

ख. दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया 7

ख.1 जांच की शुरुआत 7

ख.2 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन 7

ख.3 संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी 7

ख.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी 8

ख.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि 9

ख.6 पीसीएन कार्यप्रणाली और आयात आंकड़े 9

ख.7 मौखिक सुनवाई 10

ख.8 अन्य प्रक्रियाएं 10

ग. प्रतिप्रेषण कार्यवाही 11

ग.1 माननीय CESTAT के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा दायर अपील 11

ग.2 माननीय CESTAT के समक्ष एस्सिलोर समूह द्वारा दायर अपीलें 11

घ. प्रतिप्रेषण का दायरा और पुनर्विचार हेतु अधिकरण के निदेश 12

घ.1 अंतिम आदेश सं. 50782/2026 (घरेलू उद्योग की अपील) 12

घ.2 अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 (एस्सिलोर समूह की अपीलें) 13

ङ. वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रिया 15

च. वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में विचारणीय मुद्दे 17

च.1 प्रतिप्रेषण का दायरा और अन्य प्रारंभिक मुद्दे 17

च.1.1 वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 18

च.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति 18

च.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 20

च.2 क्षति रहित कीमत का पुनर्निर्धारण 21

च.2.1 वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 21

च.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति 23

च.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 25

च.3 अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में एस्सिलोर समूह के साथ व्यवहार 26

च.3.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 26

च.3.2 एस्सिलोर समूह द्वारा किए गए प्रस्तुति 26

च.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 27

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण 28

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 28
छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति 28
छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 29
छ.3.1 सामान्य मूल्य 29
छ.3.2 निर्यात कीमत 30
छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण 31
ज. क्षति मार्जिन की मात्रा 32
ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 32
ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति 32
ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 33
झ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां 34
झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति 34
झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति 35
झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच 36
ञ. निष्कर्ष 38
ट. सिफारिशें 39
ठ. आगे की प्रक्रिया 44

अगोपनीय

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथी मंज़िल, जीवन तारा भवन,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: नवंबर 2026

अंतिम जांच परिणाम

केस आईडी: AD/AA/001/2026 एवं AD/AA/002/2026 (मूल मामला सं. AD (OI)-06/2021)

विषय: जीकेबी ऑप्थैल्मिक्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य (पाटनरोधी अपील सं. 52534/2023) के मामले में दिनांक 27 अप्रैल 2026 के माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 तथा Essilorluxottica Asia Pacific Pte. Ltd. (पूर्व में Essilor Amera Pte. Ltd. के नाम से ज्ञात) एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य (पाटनरोधी अपील सं. 53193/2023 और संबद्ध पाटनरोधी अपील सं. 53192 तथा 53194 से 53202/2023) के मामले में दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुसरण में, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अर्ध-तैयार नेत्र लेंस" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्रतिप्रेषण कार्यवाही में अंतिम जांच परिणाम

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जीकेबी ऑप्थैल्मिक्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" या "डीआई") कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर कर चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अर्ध-तैयार नेत्र लेंस" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने का प्रस्तुति किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2021 की अधिसूचना सं. 6/6/2021-डीजीटीआर के माध्यम से अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच शुरू की थी (मामला सं. AD (OI)-06/2021)।
3. प्राधिकारी ने दिनांक 29 सितंबर 2022 की अधिसूचना फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर के माध्यम से अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिनमें पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पांच वर्ष के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। निम्नलिखित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों (जिन्हें आगे "सहभागी निर्यातक" कहा गया है) का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया था और उनके लिए शून्य शुल्क की सिफारिश की गई थी:
   a. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.
   b. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
   c. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.
   d. Carl Zeiss Vision (China) Limited
   e. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.
4. संबद्ध देश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर, जिनमें एस्सिलोर समूह भी शामिल है जिसे नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत असहयोगी माना गया था, 0.15 अमरीकी डॉलर प्रति पीस के शुल्क की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 27 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. 32/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया।
5. अंतिम जांच परिणामों से व्यथित होकर, घरेलू उद्योग ने माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (जिसे आगे "अधिकरण" या "CESTAT" कहा गया है) के समक्ष पाटनरोधी अपील सं. 52534/2023 दायर की, जिसमें अंतिम जांच परिणामों को उस सीमा तक चुनौती दी गई जिस सीमा तक उनमें भागीदार निर्यातकों (शुल्क तालिका के क्र. सं.

1 से 5) पर शून्य शुल्क की सिफारिश की गई थी, तथा 1.60 से अधिक अपवर्तनांक वाले लेंसों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करने का प्रस्तुति किया गया। Essilorluxottica Asia Pacific Pte. Ltd. (पूर्व में Essilor Amera Pte. Ltd. के नाम से ज्ञात) और एस्सिलोर समूह की अन्य संस्थाओं ने पृथक रूप से पाटनरोधी अपील सं. 53193/2023 और संबद्ध पाटनरोधी अपील सं. 53192 तथा 53194 से 53202/2023 दायर कीं, जिनमें अंतिम जांच परिणामों को उस सीमा तक चुनौती दी गई जिस सीमा तक एस्सिलोर समूह को असहयोगी माना गया था और उसके निर्यातों पर "अन्य सभी" पर लागू शुल्क की सिफारिश की गई थी।

6. माननीय अधिकरण ने दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 के माध्यम से अंतिम जांच परिणामों को उस सीमा तक अपास्त कर दिया जिस सीमा तक भागीदार निर्यातकों पर शून्य पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी, और मामले को क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) के नए सिरे से निर्धारण हेतु प्राधिकारी को वापस भेज दिया, बशर्ते कि घरेलू उद्योग को एनआईपी के निर्धारण के तरीके पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए। माननीय अधिकरण ने 1.60 से अधिक अपवर्तनांक वाले लेंसों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखे जाने को बरकरार रखा।

7. माननीय अधिकरण ने पाटनरोधी अपील सं. 53193/2023 और संबद्ध अपीलों में दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के माध्यम से यह निर्णय दिया कि Danyang ILT Optics Co., Ltd. एस्सिलोर समूह से संबंधित नहीं थी, और Danyang ILT Optics Co., Ltd. तथा निर्यात न करने वाले संबंधित उत्पादकों, अर्थात Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creasky Opticals Co., Ltd. और Jiangsu Governor Dragon Opticals Co., Ltd., की गैर-भागीदारी एस्सिलोर समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वहीन थी। माननीय अधिकरण ने एस्सिलोर समूह को असहयोगी मानकर उस पर की गई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को अपास्त कर दिया और प्राधिकारी को निदेश दिया कि वह एस्सिलोर समूह को असहयोगी माने बिना उसके मामले पर नए सिरे से विचार करे।

8. उक्त अंतिम आदेशों के अनुपालन में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की अपील के संबंध में दिनांक 14 अगस्त 2026 की अधिसूचना (केस आईडी: AD/AA/002/2026) के माध्यम से, और एस्सिलोर समूह की अपीलों के संबंध में दिनांक 14 जुलाई 2026 की अधिसूचना (केस आईडी: AD/AA/001/2026) के माध्यम से प्रतिप्रेषण कार्यवाही शुरू की। चूंकि दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियां एक ही अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न होती हैं और परस्पर संबद्ध हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया गया है और इन पर एक साझा प्रकटन विवरण तथा इन साझा अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

ख. दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया

9. मूल जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई थी:

ख.1 जांच की शुरुआत

a. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर 2021 की अधिसूचना जारी कर चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच शुरू की।

b. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी, और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनसे जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रस्तुति किया। सूचना दायर करने की समय-सीमा पहले 11 जनवरी 2022 तक और फिर 18 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई।

ख.2 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

c. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा भारत स्थित दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां कहीं प्रस्तुति किया गया, वहां ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

ख.3 संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी

d. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए चीन जन. गण. के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को, जिनका विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:

i. Danyang Legend Optical Company Limited
ii. Danyang Hongsun Optical Glasse
iii. Danyang Changxing Optical Glasses Factory
iv. Danyang H&C Optical Glasses Company Limited
v. Jiangsu Junshi Optics Company Limited
vi. Danyang Henry Optical Company Limited

vii. Shanghai Conant Optics Company Limited

viii. Jiangsu Kmd-optical Company Limited

ix. Danyang Lens Optics Technology

e. चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

i. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.

ii. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.

iii. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.

iv. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.

v. Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd.

vi. Carl Zeiss Vision (China) Ltd.

vii. Jiangsu Youli Optics Spectacles Ltd.

viii. Chemiles Corporation

ix. Jiangsu Future Vision Co., Ltd.

x. Delta Lens Private Limited

xi. Essilor Amera Pte. Ltd.

xii. Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.

ख.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

f. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

i. Essilor Manufacturing India Private Limited

ii. Essilor India Private Limited

iii. GKB Rx Lens Private Limited

iv. Ray Ban Sun Optics India Private Limited

v. Carl Zeiss India (Bangalore) Private Limited

vi. GKB Hi-Tech Lenses Private Limited

vii. Lenstech Opticals Private Limited

viii. Transworld Commercial Enterprises

ix. GKB Vision Pvt. Ltd.

x. Lenskart Solutions Private Limited

xi. Titan Company Limited

xii. Vision Rx Private Limited

xiii. Hoya India Private Limited

xiv. Indian Optics Private Limited

xv. Trishul Optics

xvi. Sun Optical Eye Case Hospital

xvii. Nayansukh Opticians

xviii. Vinod Ophthalmics Works

xix. Yash Lenses

g. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

i. Lenskart Solutions Private Limited

ii. Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd.

iii. R. K. Optical Services

iv. India Optics Pvt. Ltd.

v. Yash Optics & Lens Pvt. Ltd.

vi. Essilor India Private Limited

vii. Essilor Manufacturing India Private Limited

viii. GKB Vision Pvt. Ltd.

ix. See World Optical Co., Ltd.

x. Vision Rx Labs Private Limited

xi. RayBan Sun Optical India Pvt. Ltd.

ख.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

h. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 (12 महीने) थी। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020 और जांच की अवधि शामिल थी।

ख.6 पीसीएन कार्यप्रणाली और आयात आंकड़े

i. प्राधिकारी ने उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) कार्यप्रणाली पर 2 दिसंबर 2021 को वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों के साथ परामर्श किया और 10 दिसंबर 2021 को अपवर्तनांक, व्यास, एस्फेरिक/स्फेरिकल डिज़ाइन और दृष्टि के प्रकार पर आधारित अंतिम पीसीएन कार्यप्रणाली जारी की।

j. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने का प्रस्तुति किया गया, जिस पर आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए भरोसा किया गया।

ख.7 मौखिक सुनवाई

k. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 21 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। घरेलू उद्योग को 30 अप्रैल 2022 तक अपेक्षित प्रारूप में संशोधित याचिका दायर करने का निदेश दिया गया, और पक्षकारों से उसका अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के पश्चात लिखित प्रस्तुति और उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुति दायर करने के लिए कहा गया।

ख.8 अन्य प्रक्रियाएं

l. गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई, और प्रस्तुतियों के अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए।

m. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई, और आवश्यक समझी गई सीमा तक आंकड़ों का सत्यापन किया गया।

n. एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर, भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत तथा निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर किया गया।

o. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, दिनांक 9 सितंबर 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को आवश्यक तथ्य प्रकट किए गए।

p. अंतिम जांच परिणाम 29 सितंबर 2022 को जारी किए गए। दिनांक 27 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. 32/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया।

q. जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.22 रुपये थी।

ग. प्रतिप्रेषण कार्यवाही

ग.1 माननीय CESTAT के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा दायर अपील

10. अंतिम जांच परिणामों से व्यथित होकर, घरेलू उद्योग ने माननीय अधिकरण के समक्ष पाटनरोधी अपील सं. 52534/2023 दायर की। घरेलू उद्योग के तर्कों का सार निम्नानुसार है:
    a. दिनांक 9 सितंबर 2022 के प्रकटन विवरण के साथ एनआईपी की विस्तृत गणनाएं प्रस्तुत नहीं की गई थीं। 12 सितंबर 2022 को केवल फॉर्मेट "L" उपलब्ध कराया गया था, जिससे गणना का आधार समझा नहीं जा सकता था। विस्तृत गणनाएं अंतिम जांच परिणामों और सीमाशुल्क अधिसूचना के पश्चात केवल 2 जनवरी 2023 को उपलब्ध कराई गईं।
    b. एनआईपी, और उसके आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य, इष्टतमीकृत उत्पादन लागत पर निर्धारित किए गए थे। अनुबंध III एनआईपी पर लागू होता है, न कि सामान्य मूल्य पर। घरेलू उद्योग ने नए उत्पाद प्रकार शुरू किए थे जिससे उसके कच्चे माल के मिश्रण में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण मानकीकरण से अवास्तविक रूप से कम लागत प्राप्त हुई और सभी भागीदार निर्यातकों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन नकारात्मक आए।
    c. 1.60 से अधिक अपवर्तनांक वाले लेंसों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं था।

ग.2 माननीय CESTAT के समक्ष एस्सिलोर समूह द्वारा दायर अपीलें

11. अंतिम जांच परिणामों से व्यथित होकर, Essilorluxottica Asia Pacific Pte. Ltd. (पूर्व में Essilor Amera Pte. Ltd. के नाम से ज्ञात) और एस्सिलोर समूह की अन्य संस्थाओं ने माननीय अधिकरण के समक्ष पाटनरोधी अपील सं. 53193/2023 और संबद्ध पाटनरोधी अपील सं. 53192 तथा 53194 से 53202/2023 दायर कीं। एस्सिलोर समूह के तर्कों का सार निम्नानुसार है:
    a. प्राधिकारी ने अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर एस्सिलोर समूह को नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत गलत तरीके से असहयोगी माना, जबकि एस्सिलोर समूह की निर्यात कीमतें घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी नहीं थीं।
    b. गिरवी (Pledge) से गिरवीदार (Pledgee) में कोई विधिक या परिचालनात्मक नियंत्रण निहित नहीं होता। दिनांक 13 जुलाई 2018 के इक्विटी प्लेज करार के कारण, नवंबर 2018 में शेयरधारिता के अंतरण के पश्चात, Danyang ILT Optics Co., Ltd. सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 2(2) के

संदर्भ में एस्सिलोर समूह से संबंधित नहीं हो गई।

c. Danyang ILT Optics Co., Ltd. की वार्षिक रिपोर्टें, जो एस्सिलोर (Essilor) समूह के कब्जे में नहीं थीं, प्रस्तुत न किए जाने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था।

d. Danyang ILT Optics Co., Ltd. से और निर्यात न करने वाले संबंधित उत्पादकों, अर्थात Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creasky Opticals Co., Ltd. और Jiangsu Governor Dragon Opticals Co., Ltd., से संबंधित सूचना एस्सिलोर समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक थी, क्योंकि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया गया था और इन संस्थाओं ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया था।

e. Danyang ILT Optics Co., Ltd. द्वारा उत्पादित और एस्सिलोर समूह की संस्थाओं द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु एस्सिलोर समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक थी।

घ. प्रतिप्रेषण का दायरा और पुनर्विचार हेतु अधिकरण के निदेश

घ.1 अंतिम आदेश सं. 50782/2026 (घरेलू उद्योग की अपील)

12. माननीय अधिकरण ने यह निर्णय दिया कि फॉर्मेट "L" से प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली, विशेष रूप से वेतन एवं मजदूरी, मूल्यह्रास, मरम्मत एवं रखरखाव तथा विनिर्माण उपरिव्ययों के इष्टतमीकरण का तरीका, समझ पाना संभव नहीं था, और यह कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एनआईपी के आधार पर किया जाता है। अंतिम आदेश का संगत उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत है:

> *"54. प्रकटन विवरण के भाग के रूप में उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट "L" से यह समझ पाना या पुनर्निर्मित कर पाना संभव नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम आंकड़ों तक पहुंचने के लिए कौन-सा आधार या कार्यप्रणाली अपनाई, और न ही मूल रूप से दावा किए गए आंकड़ों तथा अंततः निर्धारित आंकड़ों के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। विशेष रूप से, वेतन एवं मजदूरी/कर्मचारी लागत, मूल्यह्रास, मरम्मत एवं रखरखाव, और विनिर्माण उपरिव्ययों के संबंध में इस बात का कोई प्रकटन नहीं है कि तथाकथित "इष्टतमीकरण" किस प्रकार किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान हुई लागतों में संशोधन किया और प्रति इकाई लागत*

प्राप्त करने के लिए ऐसी लागतों को जांच की अवधि से भिन्न किसी वर्ष की उत्पादन मात्रा से विभाजित किया। ऐसे संशोधनों के आधार और अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में किसी प्रकटन के अभाव में, इष्टतमीकरण का तरीका सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

55. सामान्य मूल्य का निर्धारण एनआईपी के आधार पर किया जाता है और, इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण प्रत्यक्ष रूप से एनआईपी के निर्धारण से जुड़ा है।

56. इसलिए, यह ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए कि वह अपीलकर्ता को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एनआईपी निर्धारित करने के तरीके पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात एनआईपी का नए सिरे से निर्धारण करे।

...

61. अतः, आक्षेपित आदेश, जिस सीमा तक उसमें भागीदार निर्यातकों पर शून्य पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है, अपास्त किया जाता है और मामला एनआईपी के नए सिरे से निर्धारण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में शीघ्रता लाने के लिए, अपीलकर्ता को इस आदेश की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपना उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि ऐसा उत्तर दायर किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उसके पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर एनआईपी के नए निर्धारण के आधार पर अपने अंतिम जांच परिणाम देंगे।

62. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 29.09.2022 के अंतिम जांच परिणाम इस सीमा तक अपास्त किए जाते हैं और तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।"

13. माननीय अधिकरण ने यह भी निर्णय दिया है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि 1.60 से अधिक अपवर्तनांक वाले अर्ध-तैयार नेत्र लेंसों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। अतः, वह मुद्दा वर्तमान कार्यवाही में विचार हेतु खुला नहीं है।

घ.2 अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 (एस्सिलोर समूह की अपीलें)

14. माननीय अधिकरण ने उन प्रत्येक आधारों की जांच करने के पश्चात, जिन पर एस्सिलोर समूह को असहयोगी माना गया था, यह निर्णय दिया कि (क) इक्विटी प्लेज करार से एस्सिलोर समूह को Danyang ILT Optics Co., Ltd. का स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त नहीं हुआ, और दोनों सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम

2(2) के संदर्भ में संबंधित नहीं थे; (ख) Danyang ILT Optics Co., Ltd. की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत न किए जाने के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था; (ग) चूंकि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया गया था, इसलिए निर्यात न करने वाले संबंधित उत्पादकों से संबंधित सूचना अप्रासंगिक थी, और प्रश्नावली के खंड क के भाग I के प्रश्न 6 पर एस्सिलोर समूह के उत्तर व्यापार सूचना सं. 06/2021 के पैरा 8(i) के अनुरूप थे; (घ) 2018 से पूर्व Danyang ILT Optics Co., Ltd. को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋणों का प्रकटन न किए जाने का उपयोग प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता था; और (ङ) Danyang ILT Optics Co., Ltd. द्वारा उत्पादित और एस्सिलोर समूह द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के निर्यातों की कीमत या मात्रा को एस्सिलोर समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता था। अंतिम आदेश का संगत उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत है:

> *"44. अतः, एस्सिलोर समूह के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की गणना करने हेतु सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में पूर्ण सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी। इसलिए, Danyang ILT (असंबंधित उत्पादक) अथवा Jiangsu Wanxin Optical Co. Ltd., Jiangsu Creasky Opticals Co. Ltd. और Jiangsu Governor Dragon Opticals Co. Ltd. (भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात न करने वाले संबंधित पक्षकार) की गैर-भागीदारी का कोई परिणाम नहीं है और एस्सिलोर समूह द्वारा उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए इसे अप्रासंगिक माना जा सकता है।*
>
> *45. एस्सिलोर समूह के भीतर निर्यातक उत्पादकों और एस्सिलोर समूह के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला बनाने वाली संबंधित संस्थाओं ने सहयोग किया और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए ताकि एस्सिलोर समूह को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क की दर प्रदान की जा सके। एस्सिलोर समूह ने संबंधित पक्षकार के संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना प्रदान की थी।*
>
> *...*
>
> *50. यह पाया गया है कि Danyang ILT और एस्सिलोर समूह संबंधित नहीं हैं। अतः, Danyang ILT द्वारा उत्पादित और एस्सिलोर समूह द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के निर्यातों की कीमत या मात्रा को एस्सिलोर समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता था।*
>
> *51. अतः, ऊपर बताए गए सभी कारणों से, एस्सिलोर समूह को असहयोगी मानकर*

उस पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश उचित नहीं है। तदनुसार, इसे अपास्त किया जाता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी एस्सिलोर समूह को असहयोगी माने बिना एस्सिलोर समूह के मामलों पर नए सिरे से विचार करेंगे। अतः, अपीलें ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।"

15. तदनुसार, वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही का दायरा (क) घरेलू उद्योग के एनआईपी के नए सिरे से निर्धारण, (ख) सामान्य मूल्य (उस सीमा तक जिस तक वह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर परिकलित है), पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क के परिणामी पुनर्निर्धारण; और (ग) एस्सिलोर समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानते हुए उसके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क के निर्धारण तक सीमित है। दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम जांच परिणामों में अन्य सभी मुद्दों पर दिए गए निष्कर्षों को, जिनमें विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु, घरेलू उद्योग की स्थिति (स्टैंडिंग), भागीदार निर्यातकों (एस्सिलोर समूह के अतिरिक्त) की सहयोग स्थिति और निर्यात कीमत/पहुंच मूल्य, क्षति और कारणात्मक संबंध शामिल हैं, माननीय अधिकरण द्वारा नहीं छेड़ा गया है और उन्हें पुनः नहीं खोला गया है।

ङ. वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रिया

16. वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
    a. अंतिम आदेश के पैरा 61 के अनुसरण में, घरेलू उद्योग ने एनआईपी के निर्धारण के तरीके पर अपना उत्तर माननीय CESTAT द्वारा निर्धारित नियत तारीख से पहले ई-मेल द्वारा और 14 जुलाई 2026 को सेतु पोर्टल पर दायर किया।
    b. प्राधिकारी ने दिनांक 14 अगस्त 2026 की अधिसूचना के माध्यम से केस आईडी: AD/AA/002/2026 में प्रतिप्रेषण कार्यवाही शुरू की, जिसका संगत भाग निम्नानुसार है:

    "2. *चूंकि मामले को क्षति रहित कीमत के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा गया है, इसलिए प्राधिकारी ने माननीय अधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त समझे गए चरण से प्रतिप्रेषण कार्यवाही आरंभ की है। प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सूचना की नए सिरे से जांच करेंगे और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रस्तुति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे। प्राधिकारी विधि के अनुसार क्षति रहित कीमत का नए सिरे से निर्धारण करेंगे।"*

c. एस्सिलोर समूह द्वारा दायर दिनांक 8 जून 2026 के आवेदन के अनुसरण में, प्राधिकारी ने अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में दिनांक 14 जुलाई 2026 की अधिसूचना के माध्यम से केस आईडी: AD/AA/001/2026 में प्रतिप्रेषण कार्यवाही शुरू की, जिसका संगत भाग निम्नानुसार है:

> "2. *चूंकि मामले को एस्सिलोर समूह के संबंध में पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर पुनर्विचार हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा गया है, इसलिए प्राधिकारी ने माननीय अधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त समझे गए चरण से प्रतिप्रेषण कार्यवाही आरंभ की है। प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सूचना की नए सिरे से जांच करेंगे और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने प्रस्तुति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे। प्राधिकारी एस्सिलोर समूह को सहयोगी निर्यातक/उत्पादक मानते हुए उसके लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे।"*

d. जांच शुरुआत के पश्चात घरेलू उद्योग और भागीदार निर्यातकों ने आगे प्रस्तुति दायर किए।

e. प्राधिकारी ने 22 सितंबर 2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों को 25 सितंबर 2026 तक लिखित प्रस्तुति और 28 सितंबर 2026 तक प्रत्युत्तर प्रस्तुति दायर करने का निदेश दिया गया।

f. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित प्रस्तुति और प्रत्युत्तर प्रस्तुति दायर किए गए हैं:

   i. जीकेबी ऑप्थैल्मिक्स लिमिटेड (घरेलू उद्योग) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 के प्रस्तुति और दिनांक 28 सितंबर 2026 के प्रत्युत्तर के माध्यम से

   ii. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. और Shanghai Conant Optics Co., Ltd. (जिन्हें आगे "कोनांट समूह" कहा गया है) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 के लिखित प्रस्तुति और दिनांक 28 सितंबर 2026 के प्रत्युत्तर के माध्यम से

   iii. Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd. और Shanghai Weixing Optical Technology Co., Ltd. (जिन्हें आगे "वेइक्सिंग समूह" कहा गया है) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 के लिखित प्रस्तुति और दिनांक 28 सितंबर 2026 के प्रत्युत्तर के माध्यम से

   iv. Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. (जिसे आगे "डीडीएमओ" कहा गया है) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 के लिखित प्रस्तुति और दिनांक 28

सितंबर 2026 के प्रत्युत्तर के माध्यम से।

v. एस्सिलोर समूह (Essilorluxottica Asia Pacific Pte. Ltd. और एस्सिलोर समूह की अन्य संस्थाएं) द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2026 के लिखित प्रस्तुति और दिनांक 28 सितंबर 2026 के प्रत्युत्तर के माध्यम से

g. Carl Zeiss Vision (China) Limited ने वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में कोई प्रस्तुति दायर नहीं किया है।

h. एस्सिलोर समूह के प्रस्तुति और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस मांग का विरोध न किए जाने को ध्यान में रखते हुए, केस आईडी: AD/AA/002/2026 और केस आईडी: AD/AA/001/2026 में प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों को एक साथ लिया गया है। एस्सिलोर समूह के प्रस्तुतियों की जांच एनआईपी के निर्धारण तथा उसके व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण, दोनों के संबंध में की गई है।

i. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 27 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से विचाराधीन आवश्यक तथ्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए और 3 नवंबर 2026 तक उन पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं। एनआईपी की पूर्ण गणनाएं प्रकटन विवरण के खंड IV के रूप में गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग के साथ साझा की गईं।

j. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग, कोनांट (Conant) समूह, वेइक्सिंग (Weixing) समूह और एस्सिलोर (Essilor) समूह से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जो सभी दिनांक 3 नवंबर 2026 की हैं। डीडीएमओ (DDMO) और Carl Zeiss Vision (China) Limited से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच इन जांच परिणामों के खंड झ में की गई है।

k. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और माननीय अधिकरण के दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेशों के आलोक में उनकी जांच की है।

l. प्राधिकारी ने माननीय CESTAT के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तीन माह का समय बढ़ाने का प्रस्तुति करते हुए माननीय CESTAT के समक्ष आवेदन भी दायर की है।

च. वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में विचारणीय मुद्दे

च.1 प्रतिप्रेषण का दायरा और अन्य प्रारंभिक मुद्दे

च.1.1 वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

17. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. चूंकि सामान्य मूल्य एनआईपी पर आधारित है (अंतिम आदेश का पैरा 55), इसलिए एनआईपी के पुनर्निर्धारण के लिए सामान्य मूल्य का और परिणामस्वरूप एस्सिलोर (Essilor) समूह सहित सभी भागीदार निर्यातकों के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। घरेलू उद्योग ने अपनी अपील में विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया था कि सामान्य मूल्य इष्टतमीकृत उत्पादन लागत पर परिकलित किया गया था, जबकि अनुबंध III केवल एनआईपी पर लागू होता है, न कि सामान्य मूल्य पर। घरेलू उद्योग को कार्यवाही के एनआईपी के पुनर्निर्धारण और उसके परिणामस्वरूप होने वाली गणनाओं तक सीमित रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

b. कोई नकारात्मक पाटन मार्जिन सकारात्मक होता है या नहीं, यह संशोधित परिकलित सामान्य मूल्य और एनआईपी पर निर्भर करता है; परिणाम जो भी हो, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

c. प्रतिप्रेषण कार्यवाही को स्थगित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका (सि.) 14723/2025 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 22 सितंबर 2025 का आदेश अधिकरण को अंतिम जांच परिणामों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अनुमति देता है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश को न तो चुनौती दी गई है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, और वह अंतिम हो चुका है।

d. घरेलू उद्योग को एस्सिलोर (Essilor) समूह को व्यक्तिगत दर प्रदान किए जाने पर या दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों पर एक साथ विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, और मूल जांच के निर्यातकों के आंकड़ों पर भरोसा किए जाने के संबंध में उसकी कोई टिप्पणी नहीं है।

e. घरेलू उद्योग सीमित संसाधनों वाला एक एमएसएमई (MSME) है और उसे यह जानकारी नहीं थी कि दायर की गई सूचना का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। वह पूर्ण एनआईपी फाइल, विशेष रूप से फॉर्मेट B और फॉर्मेट D, के प्रकटन और उसके पश्चात टिप्पणी करने के लिए अतिरिक्त समय का प्रस्तुति करता है।

च.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. कोनांट (Conant) समूह और वेइक्सिंग (Weixing) समूह ने मूल जांच में पूर्ण सहयोग किया; उनके निर्यात आंकड़ों का सत्यापन किया गया और नकारात्मक पाटन एवं क्षति मार्जिन व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किए गए।

b. माननीय अधिकरण ने मामले को केवल एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य के नए सिरे से निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया है। प्रतिप्रेषण से निर्यातकों की सहयोग स्थिति, प्रश्नावली उत्तर, सत्यापन या निर्यात कीमत पुनः नहीं खुलते, और यह जांच को नए सिरे से (De Novo) पुनः खोलना नहीं है।

c. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सि.) 14723/2025 में दिनांक 22 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9C के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिकरण के दिनांक 26 अगस्त 2025 के अंतरिम आदेश सं. 5/2025 पर रोक लगा दी है। चूंकि दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश की वैधता उस मुद्दे पर निर्भर करती है, इसलिए रिट याचिका का निर्णय होने तक प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं करने चाहिए।

d. एनआईपी कार्यप्रणाली के प्रकटन के घरेलू उद्योग के प्रस्तुति पर, प्राधिकारी प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

e. डीडीएमओ (DDMO) ने पूर्ण सहयोग किया और उसे प्रतिकूल निष्कर्ष के आधार पर नहीं, बल्कि उसके अपने आंकड़ों के आधार पर शून्य/नकारात्मक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान किया गया था। डीडीएमओ (DDMO) ने आगे कहा कि एनआईपी के किसी भी नए निर्धारण का डीडीएमओ (DDMO) के लिए परिकलित पाटन मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रारंभिक अंतिम जांच परिणामों के दौरान यह नकारात्मक था।

f. एस्सिलोर (Essilor) समूह ने तर्क दिया कि दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियां (AD/AA/001/2026 और AD/AA/002/2026) आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एस्सिलोर समूह की व्यक्तिगत दर संशोधित क्षति मार्जिन पर निर्भर करती है, और इनका निर्णय एक समेकित निर्धारण के माध्यम से किया जाना चाहिए। 2027 में संभावित निर्णायक समीक्षा को देखते हुए शीघ्र व्यक्तिगत दर निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

g. एस्सिलोर (Essilor) समूह ने आगे कहा कि कार्यवाही को स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 12 और 15 स्पष्ट रूप से अधिकरण को अंतिम जांच परिणामों से संबंधित अपीलों की सुनवाई करने की अनुमति देते हैं। उसने आगे कहा कि अंतिम आदेश या प्रतिप्रेषण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और प्राधिकारी किसी बाध्यकारी अपीलीय आदेश को निलंबित करने का मंच नहीं हैं।

च.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. **प्रतिप्रेषण का दायरा:** माननीय अधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों को केवल "उस सीमा तक" अपास्त किया जिस सीमा तक भागीदार निर्यातकों पर शून्य शुल्क की सिफारिश की गई थी, और मामले को एनआईपी के नए सिरे से निर्धारण हेतु वापस भेजा। अधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एनआईपी के आधार पर किया गया था और शुल्क का अधिरोपण प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि प्रतिप्रेषण में एनआईपी और पांच भागीदार निर्यातकों तथा निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी के परिकलित सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क पर उसका परिणामी प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुसार, प्राधिकारी के लिए एस्सिलोर समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानते हुए उसके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का नए सिरे से निर्धारण करना अपेक्षित है।

20. सहभागी निर्यातकों (एस्सिलोर समूह के अतिरिक्त) की निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य और सहयोग स्थिति को पुनः नहीं खोला गया है। एस्सिलोर समूह की सहयोग स्थिति माननीय अधिकरण द्वारा निर्धारित की जा चुकी है, और उसकी निर्यात कीमत तथा पहुंच मूल्य की जांच नीचे खंड ज में की गई है।

21. **स्थगन का प्रस्तुति:** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22 सितंबर 2025 के आदेश ने केवल धारा 9C के दायरे के संबंध में अधिकरण के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। तथापि, वह अधिकरण को प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों से संबंधित अपीलों पर कार्यवाही करने की अनुमति देता है और यह उल्लेख करता है कि रिट याचिका के लंबित रहने से वे प्रभावित नहीं होंगी। दिनांक 27 अप्रैल 2026 का अंतिम आदेश अंतिम जांच परिणामों के विरुद्ध एक अपील से उत्पन्न हुआ है और उस पर न तो रोक लगाई गई है और न ही उसे अपास्त किया गया है। प्राधिकारी उसे प्रभावी करने के लिए बाध्य हैं। अतः, वर्तमान कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्तुति स्वीकार नहीं किया जाता है।

22. **केस आईडी AD/AA/001/2026 के साथ समेकन:** दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियां दिनांक 29 सितंबर 2022 के एक ही अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न होती हैं, और एस्सिलोर समूह के लिए शुल्क, यदि कोई हो, केस आईडी: AD/AA/002/2026 में पुनर्निर्धारित एनआईपी पर निर्भर करता है। एस्सिलोर समूह ने समेकित निर्धारण का प्रस्तुति किया है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है। अतः, प्राधिकारी दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों को समेकित करना तथा एक साझा प्रकटन विवरण और साझा अंतिम जांच परिणाम जारी करना उचित समझते हैं।

23. **प्रकटन का प्रस्तुति:** घरेलू उद्योग का प्रस्तुति स्वीकार किया गया। फॉर्मेट B (कच्चा माल) और फॉर्मेट D (उपयोगिताएं), दावा की गई और स्वीकृत तत्व-वार लागतें, लागू किए गए मानक और अंतरों के कारणों सहित एनआईपी की पूर्ण गणनाएं दिनांक 27 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के खंड IV के रूप में घरेलू उद्योग के साथ साझा की गईं, और घरेलू उद्योग को उन पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया।

च.2 क्षति रहित कीमत का पुनर्निर्धारण

च.2.1 वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

24. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतियों में निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

a. एनआईपी का निर्धारण अनुबंध III के अनुरूप नहीं किया गया है। निर्धारित एनआईपी घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित एनआईपी से लगभग [***] कम है, जिसके परिणामस्वरूप भागीदार निर्यातकों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन और शून्य शुल्क आया। मुख्य कटौतियां कच्चे माल, उपयोगिताओं, वेतन एवं मजदूरी, मूल्यह्रास, मरम्मत एवं रखरखाव और अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों में हैं।

b. अनुबंध III का पैरा 4(i) मानकीकरण की अनुमति केवल कच्चे माल के अकुशल उपयोग से हुई क्षति को निष्प्रभावी करने के लिए देता है। जांच की अवधि में कच्चे माल का उपयोग इष्टतम था, और खपत में अंतर के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया।

c. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने 2017-18 की खपत को जांच की अवधि की दरों पर लिया है, जिससे [***] प्रति पीस की वास्तविक लागत की तुलना में [***] प्रति पीस प्राप्त होता है। [***] और [***], जिनका उपयोग 2017-18 और 2018-19 में किया गया था, जांच की अवधि में उपयोग नहीं किए गए थे और उनकी जांच की अवधि की कोई दर नहीं थी, और इसलिए उनकी लागत शून्य पर आंकी गई। किसी आवश्यक इनपुट की लागत शून्य पर आंकना यह मानने के समान है कि घरेलू उद्योग तब सर्वाधिक कुशल था जब उसने उस इनपुट के बिना उत्पादन किया, जो असंभव है।

d. ये इनपुट जांच की अवधि में उपयोग किए गए और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त [***] और [***] के समान हैं, या उनके साथ परस्पर विनिमेय हैं। इन्हें उन इनपुटों के साथ संचयित किया जाना चाहिए, या 2017-18 की दर पर अथवा तुलनीय इनपुट की जांच की अवधि की दर पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

e. क्षति अवधि के दौरान विकसित नए उत्पादों के कारण इनपुट के नए ग्रेडों ने पुराने ग्रेडों का

स्थान ले लिया। परस्पर विनिमेय इनपुट आठ समूहों, अर्थात [***], [***], [***], [***], [***], [***], [***] और [***], में आते हैं, और मानकीकरण के प्रयोजन के लिए इन्हें समूहबद्ध किया जाना चाहिए। इस आधार पर, कच्चे माल की लागत जांच की अवधि के वास्तविक स्तर पर स्वीकार की जानी चाहिए।

f. प्राधिकारी ने वेतन एवं मजदूरी, मूल्यह्रास, मरम्मत एवं रखरखाव और अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों पर जांच की अवधि के वास्तविक व्ययों को 2018-19 के उत्पादन ([***]) से विभाजित किया। इससे प्राप्त प्रति इकाई लागत स्वयं 2018-19 की वास्तविक प्रति इकाई लागत से लगभग [***] कम है। यदि 2018-19 इष्टतम वर्ष था, तो मानकीकृत लागत उसकी वास्तविक लागत से कम नहीं हो सकती थी।

g. ये व्यय पूर्णतः नियत नहीं हैं। जांच की अवधि में वेतन एवं मजदूरी 2018-19 की तुलना में [***] कम थे क्योंकि उत्पादन में गिरावट आने पर कुछ लागतें नहीं हुईं। जांच की अवधि के दौरान का ट्रायल बैलेंस और विभाग-वार वेतन-पत्रक दर्शाते हैं कि कंपनी-व्यापी [***] लाख के वेतन में से लगभग [***] उत्पादन, भंडार, स्टॉक एवं प्रेषण, हाउसकीपिंग और समान विभागों से संबंधित है और परिवर्ती है। अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों में ठेका श्रम, लेंस सफाई, जल, और सफाई एवं धुलाई शामिल हैं, जो उत्पादन के साथ परिवर्तित होते हैं।

h. क्षमता का कोई अकुशल उपयोग नहीं हुआ था, और जांच की अवधि के वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उत्पादन का मानकीकरण किया जाता है, तो परिवर्ती लागतों में भी तदनुरूप वृद्धि की जानी चाहिए।

i. प्राधिकारी की अपेक्षाओं से अवगत न होने के कारण, घरेलू उद्योग ने [***] लाख की कुल राशि के कतिपय उपरिव्ययों को गैर-पीयूसी लागतों के रूप में सूचित किया ([***]); [***] ([***]); [***], [***], [***], [***], [***], [***], [***], [***]; [***])। सत्यापन के समय यह स्पष्ट किया गया था कि प्राधिकारी ऐसे व्ययों को उपरिव्ययों के रूप में मानते हैं और सुधार का प्रस्तुति किया गया था। फिर भी इन लागतों पर विचार नहीं किया गया।

j. घरेलू उद्योग ने आगे स्पष्ट किया है कि वह प्रशासन से संबंधित सभी व्ययों को [***] के अंतर्गत दर्ज करता है, कि वह किसी गैर-पीयूसी का उत्पादन नहीं करता है, और कि [***] लाख के व्यय केवल प्राधिकारी की अपेक्षाओं से अनभिज्ञता के कारण गैर-पीयूसी (PUC) के रूप में सूचित किए गए थे। उसने वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों का नियत और परिवर्ती घटकों में विभाजन भी प्रस्तुत किया है।

k. उपर्युक्त आधार पर, एनआईपी निर्धारित [***] प्रति पीस के स्थान पर [***] प्रति पीस

होना चाहिए। पैकिंग, उपभोज्य वस्तुओं, बैंक प्रभारों, वित्त लागत, प्रशासनिक उपरिव्ययों, उप-उत्पाद क्रेडिट और प्रतिलाभ के व्यवहार पर कोई विवाद नहीं है।

l. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने एनआईपी के पुनर्निर्धारण का विरोध नहीं किया है। एस्सिलोर (Esssilor) समूह ने यह स्वीकार किया है कि इनपुटों को समूहबद्ध किया जा सकता है और पहचान योग्य परिवर्ती लागतों के लिए, सत्यापन योग्य अभिलेखों द्वारा समर्थित सीमा तक, समायोजन किया जा सकता है।

च.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. घरेलू उद्योग का यह कथन आंशिक रूप से सही है कि किसी आवश्यक इनपुट का मूल्य केवल इसलिए शून्य नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि जांच की अवधि में वह बदल गया। इससे नए इनपुट की या पुनःसमूहित समूह की जांच की अवधि की वास्तविक खपत को इष्टतमीकरण के बिना स्वीकार करना उचित नहीं ठहरता। अनुबंध III जांच की अवधि की दरों पर तीन वर्षों और जांच की अवधि में सर्वोत्तम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। घरेलू उद्योग को संशोधित समूहन के लिए इष्टतमीकृत मानक दर्शाना चाहिए था। यदि शून्य मूल्यांकन अनुपयुक्त है, तो भी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों, तुलनीय इनपुटों और घरेलू उद्योग की अपनी पूर्व खपत का उपयोग करते हुए उचित आधार पर इष्टतमीकरण किया जाना चाहिए।

b. जांच की अवधि में क्षमता उपयोग और वेतन में गिरावट स्वयं में यह सिद्ध नहीं करती कि वेतन परिवर्ती हैं। वर्गीकरण वास्तविक लागत व्यवहार और लेखा अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी लगातार वेतन एवं मजदूरी को नियत मानते रहे हैं और उन्हें इसी पद्धति का पालन करना चाहिए। घरेलू उद्योग को परिवर्ती माने गए कर्मचारियों की श्रेणियों, जनशक्ति में परिवर्तन, सेवा समाप्ति या कार्य-घंटों में कमी, और व्यय में तदनुरूप उतार-चढ़ाव के साथ अपने दावे को प्रमाणित करना चाहिए।

c. अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों को भी नियत माना जाता है। जल पहले ही उपयोगिताओं के अंतर्गत शामिल है, जिन्हें परिवर्ती माना जाता है, और उसकी दोबारा गणना नहीं की जा सकती। ठेका श्रम, लेंस सफाई और धुलाई के लिए, घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद से संबंधित लागत, वर्गीकरण के आधार और उत्पादन के साथ व्यय में उतार-चढ़ाव का साक्ष्य प्रदान करना चाहिए।

d. वर्गीकरण को प्रमाणित करने का भार घरेलू उद्योग पर था। मूल जांच में दायर न की गई सूचना प्रतिप्रेषण कार्यवाही में पहली बार दायर नहीं की जा सकती।

e. एनआईपी का पुनर्निर्धारण अनुबंध III के अनुसार सत्यापित सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समायोजन सत्यापित अभिलेखों द्वारा समर्थित सीमा तक स्वीकार किए जा सकते हैं।

f. एस्सिलोर समूह ने कहा कि [***] मोनोमर (Monomer) के विभिन्न ग्रेड, जो Mitsui Chemicals का एक स्वामित्वाधीन उत्पाद समूह है, विभिन्न वर्षों में विशिष्ट लेंस प्रकारों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। यदि घरेलू उद्योग प्रत्येक ग्रेड की खपत को निर्मित लेंसों से जोड़ सकता है, तो ऐसे कच्चे माल की जांच समूहबद्ध आधार पर की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि अभिलेख विशेष लागत शीर्षों में पहचान योग्य परिवर्ती घटक दर्शाते हैं, तो अनुबंध III के यांत्रिक अनुप्रयोग के बजाय साक्ष्य के आधार पर तदनुरूप समायोजनों पर विचार किया जाना चाहिए।

g. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी के बीच अंतर (जिसे घरेलू उद्योग ने [***]-[***]% बताया है) स्वयं में यह नहीं दर्शाता कि निर्धारण गलत था। एनआईपी अकुशलताओं को समाप्त करने के पश्चात निर्धारित एक काल्पनिक कीमत है और यह दावा की गई प्रत्येक लागत को यांत्रिक रूप से अपनाना नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या कार्यप्रणाली अनुबंध III और माननीय अधिकरण के निदेशों के अनुरूप है।

h. एनआईपी का प्रयोजन घरेलू उद्योग के ऐतिहासिक उत्पादन की लेखांकन विशेषताओं को पुनः प्रस्तुत करना नहीं है। जांच की अवधि में उपयोग न किए गए किसी इनपुट को शून्य या कम लागत प्रदान की जा सकती है या नहीं, इस पर समग्र खपत पैटर्न से पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। जहां दो इनपुट एक-दूसरे के स्थानापन्न हैं या विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक ही कार्यात्मक इनपुट को दर्शाते हैं, वहां लेखों में उनकी पृथक पहचान के कारण उन्हें स्वतंत्र इनपुट माना जाना आवश्यक नहीं है। माननीय अधिकरण के समक्ष, प्राधिकारी ने कहा था कि कच्चे माल के संचयी आंकड़ों पर विचार किया गया था। घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि कार्यप्रणाली अनुबंध III के प्रतिकूल है और वह केवल अपनी पसंदीदा कार्यप्रणाली को प्रतिस्थापित करना चाहता है।

i. मानकीकरण का उद्देश्य अकुशलताओं को दूर करना है। कम उत्पादन या उपयोग के कारण जांच की अवधि में उत्पन्न उच्चतर प्रति इकाई लागत को एनआईपी में शामिल नहीं किया जा सकता। यह तर्क कि मानकीकृत लागत किसी पूर्ववर्ती वर्ष की लागत से कम नहीं हो सकती, एक सामान्य प्रस्थापना के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लागतें उत्पादन स्तरों, उपयोग, उत्पाद मिश्रण और परिवर्ती व्ययों के साथ परिवर्तित होती हैं। घरेलू उद्योग की

स्वयं की यह स्वीकृति कि कुछ व्यय परिवर्ती हैं, यह दर्शाती है कि वर्षों के बीच कुल व्यय की तुलना, आगे विश्लेषण के बिना, किसी त्रुटि को सिद्ध नहीं करती।

च.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. नियमावली के नियम 4(d) और नियम 17(1)(b) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात क्षति को दूर करने हेतु पर्याप्त शुल्क की सिफारिश करना अपेक्षित है। अनुबंध III के अनुसार एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग के वित्तीय और लागत अभिलेखों का मिलान करने के पश्चात जांच की अवधि के लिए उसकी उत्पादन लागत से किया जाना अपेक्षित है। अनुबंध III का पैरा 4 जांच की अवधि की दरों पर, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग का प्रावधान करता है।

27. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन प्रस्तुतियों को नोट करते हैं कि क्षति अवधि के पूर्ववर्ती भाग में उपयोग किए गए कुछ इनपुट क्षति अवधि के परवर्ती भाग में उपलब्ध नहीं थे और घरेलू उद्योग ने उसी समूह के अन्य इनपुट प्राप्त किए जिनका संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया जा सकता है। अतः, परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए गए ऐसे इनपुटों (जो एक ही समूह में आते हैं) की कुल खपत पर क्षति अवधि के दौरान एक साथ विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने कहा कि वह किसी गैर-पीयूसी का उत्पादन नहीं करता है, और कि एनपीयूसी व्यय केवल प्राधिकारी की अपेक्षाओं से अनभिज्ञता के कारण गैर-पीयूसी के रूप में सूचित किए गए थे। साथ ही, क्षमता का कोई अकुशल उपयोग नहीं हुआ था, और जांच की अवधि के वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वेतन एवं मजदूरी और अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों पर व्यय पूर्णतः नियत नहीं है और उत्पादन के साथ परिवर्तित होता है।

28. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एनआईपी के निर्धारण हेतु क्षमता उपयोग, कच्चे माल की खपत, एनपीयूसी लागतों, वेतन एवं मजदूरी और अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों की जांच की।

29. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए परस्पर विनिमेय होने के दावे वाले सामग्री समूहों के आधार पर कच्चे माल की खपत की जांच की और उस पर विचार किया। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत इस स्पष्टीकरण के आधार पर कि आवेदक ने किसी एनपीयूसी का उत्पादन नहीं किया, एनपीयूसी के लिए त्रुटिवश प्रभारित व्ययों पर विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी के

निर्धारण हेतु विचार किया गया है। तथापि, आवेदक दावा किए गए वेतन एवं मजदूरी और अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों की परिवर्ती प्रकृति के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं कर सका। अतः, मानकीकरण के लिए जांच की अवधि के वास्तविक क्षमता उपयोग पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए, प्राधिकारी ने एनआईपी के निर्धारण हेतु क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर भी विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित और अनुसरण की जा रही पद्धति के अनुसार एनआईपी पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिलाभ (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में स्वीकार किया गया।

30. उपर्युक्त आधार पर, घरेलू उद्योग की पुनर्निर्धारित भारित औसत क्षति रहित कीमत, अंतिम जांच परिणामों में निर्धारित ₹[***] प्रति पीस और घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए ₹[***] प्रति पीस की तुलना में, ₹[***] प्रति पीस है।

च.3 अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में एस्सिलोर समूह के साथ व्यवहार

च.3.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

31. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुति किया है कि उसे एस्सिलोर (Essilor) समूह को व्यक्तिगत दर प्रदान किए जाने पर या दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों पर एक साथ विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, और मूल जांच के निर्यातकों के आंकड़ों पर भरोसा किए जाने के संबंध में उसकी कोई टिप्पणी नहीं है। उसने आगे प्रस्तुति किया है कि एनआईपी के पुनर्निर्धारण के लिए एस्सिलोर समूह सहित सभी भागीदार निर्यातकों के सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्निर्धारण आवश्यक है।

च.3.2 एस्सिलोर समूह द्वारा किए गए प्रस्तुति

32. एस्सिलोर समूह ने निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. माननीय अधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों को उस सीमा तक अपास्त कर दिया है जिस सीमा तक एस्सिलोर (Essilor) समूह को असहयोगी माना गया था और यह निदेश दिया है कि एस्सिलोर (Essilor) समूह को असहयोगी माने बिना उसके मामले पर नए सिरे से विचार

किया जाए। अतः, एस्सिलोर समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना जाना है।

b. माननीय अधिकरण ने यह दर्ज किया है कि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित पूर्ण सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। एस्सिलोर समूह द्वारा मूल जांच में सभी प्रासंगिक आंकड़े रिकॉर्ड पर रखे गए थे, और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले बिना एस्सिलोर (Essilor) समूह के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उसके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।

c. एस्सिलोर (Essilor) समूह को अंतिम आदेश सं. 50782/2026 के अनुसार एनआईपी के पुनर्निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं है। एस्सिलोर (Essilor) समूह सहित सहयोगी निर्यातकों पर उद्ग्रहणीय पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, टिप्पणी करने का अवसर देने के पश्चात नई एनआईपी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

च.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में, एस्सिलोर समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना गया है। माननीय अधिकरण ने यह निर्णय दिया है कि Danyang ILT Optics Co., Ltd. एस्सिलोर (Essilor) समूह से संबंधित नहीं है, और Danyang ILT Optics Co., Ltd. तथा Jiangsu Wanxin Optical Co., Ltd., Jiangsu Creasky Opticals Co., Ltd. और Jiangsu Governor Dragon Opticals Co., Ltd. की गैर-भागीदारी एस्सिलोर (Essilor) समूह के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वहीन है।

34. एस्सिलोर (Essilor) समूह की निम्नलिखित संस्थाओं ने मूल जांच में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए थे, जिन पर वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में भरोसा किया गया है:

a. चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक: Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd., See World Optical Co., Ltd., Jiangsu Future Vision Co., Ltd. और Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd.

b. संबंधित निर्यातक/व्यापारी: Chemiglas Corporation (कोरिया गणराज्य), Essilor Amera Pte. Ltd. (अब Essilorluxottica Asia Pacific Pte. Ltd.), सिंगापुर, और Shanghai Essilor Optical Co., Ltd.

c. भारत में संबंधित आयातक/प्रयोक्ता: Essilor India Private Limited, Essilor Manufacturing India Private Limited, Vision Rx Lab Private Limited (पूर्व में GKB Rx Lens Private Limited), Delta Lens (P) Ltd. और GKB Vision (P) Ltd.

35. Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. ने संबद्ध वस्तु का भारत को प्रत्यक्ष रूप से

निर्यात किया है। Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd. ने संबद्ध वस्तु का भारत को अपने संबंधित व्यापारी, Chemiglas Corporation, के माध्यम से निर्यात किया है। Jiangsu Future Vision Co., Ltd. ने संबद्ध वस्तु का भारत को अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक, See World Optical Co., Ltd., के माध्यम से निर्यात किया है। See World Optical Co., Ltd. ने संबद्ध वस्तु का भारत को प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही अपने संबंधित निर्यातक, Essilor Amera Pte. Ltd., सिंगापुर, के माध्यम से भी निर्यात किया है।

36. तदनुसार, एस्सिलोर समूह के लिए निर्धारित व्यक्तिगत मार्जिन एस्सिलोर समूह के ऊपर उल्लिखित चार उत्पादकों द्वारा उत्पादित और ऊपर निर्धारित उत्पादकों के माध्यम से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू होते हैं। Danyang ILT Optics Co., Ltd., जिसने जांच में भाग नहीं लिया है, द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पर "अन्य सभी" पर लागू शुल्क लगेगा।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

37. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:
    a. चूंकि सामान्य मूल्य एनआईपी के आधार पर परिकलित किया गया था, इसलिए एनआईपी के पुनर्निर्धारण के लिए स्वतः ही सामान्य मूल्य का और परिणामस्वरूप सभी भागीदार निर्यातकों के पाटन मार्जिन का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जैसा कि अंतिम आदेश के पैरा 55 में माना गया है।
    b. सामान्य मूल्य इष्टतमीकृत उत्पादन लागत पर परिकलित किया गया था। सामान्य मूल्य के इष्टतमीकरण का कोई विधिक आधार नहीं है, क्योंकि अनुबंध III केवल एनआईपी पर लागू होता है। सामान्य मूल्य का इष्टतमीकरण विदेशी निर्यातक के लाभ हेतु पाटन मार्जिन को कृत्रिम रूप से कम कर देता है।
    c. यह प्रस्तुति कि एनआईपी के पुनर्निर्धारण से पाटन मार्जिन परिवर्तित नहीं होता, तथ्यात्मक आधार से रहित है। परिणाम, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, संशोधित परिकलित सामान्य मूल्य और एनआईपी पर निर्भर करता है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में

निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. कोनांट (Conant) समूह और वेइक्सिंग (Weixing) समूह की निर्यात कीमत की मूल जांच में जांच, सत्यापन और व्यक्तिगत रूप से निर्धारण किया गया था। वर्तमान कार्यवाही से इन निर्यातकों का सहयोग, प्रश्नावली उत्तर या निर्यात कीमत पुनः नहीं खुलते।

b. पाटन और क्षति पृथक निर्धारण हैं। एनआईपी क्षति मार्जिन के लिए प्रासंगिक है, जबकि पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करके किया जाता है। चूंकि डीडीएमओ (DDMO) की निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य अपरिवर्तित हैं, इसलिए संशोधित एनआईपी उसके नकारात्मक पाटन मार्जिन को सकारात्मक में परिवर्तित नहीं कर सकती, और शून्य शुल्क बनाए रखा जाना चाहिए।

c. डीडीएमओ (DDMO) के लिए मूल जांच के रिकॉर्ड का भाग बनने वाले अंतिम आंकड़ों और प्रस्तुतियों पर भरोसा किया जाना चाहिए ।

d. एस्सिलोर (Essilor) समूह के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सूचना पहले से ही रिकॉर्ड पर है, और उसके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उसका व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य

39. मूल जांच में, डीडीएमओ (DDMO) के अतिरिक्त, चीन जन. गण. के किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करते हुए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की थी। डीडीएमओ (DDMO) के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे की जांच की गई और उसे स्वीकार नहीं किया गया। प्राधिकारी ने नोट किया कि थाईलैंड से भारत की कीमत पर आधारित, जांच शुरुआत के समय का सामान्य मूल्य प्रतिनिधिक नहीं था और उससे पीसीएन-वार (PCN Wise) तुलना संभव नहीं थी। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया गया। माननीय अधिकरण द्वारा इन निष्कर्षों को नहीं छेड़ा गया है। एस्सिलोर (Essilor) समूह ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

40. अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए उचित वृद्धि तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया था। माननीय अधिकरण ने नोट किया है (अंतिम आदेश का पैरा 55) कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एनआईपी के आधार पर किया जाता है। उस परिकलन में प्रयुक्त लागत तत्वों में परिवर्तन से सामान्य मूल्य अनिवार्य रूप से

प्रभावित होता है। अतः, डीडीएमओ (DDMO) का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता कि एनआईपी के पुनर्निर्धारण का उसके पाटन मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

41. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य वास्तविक उत्पादन लागत पर परिकलित किया जाना चाहिए, न कि मानकीकृत उत्पादन लागत पर, क्योंकि अनुबंध III केवल एनआईपी पर लागू होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत किया गया है, जो उस स्थिति में "किसी अन्य उचित आधार" पर निर्धारण की अनुमति देता है जहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य का उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ, एनआईपी के प्रयोजन हेतु यथानिर्धारित, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया था। तदनुसार, संशोधित पीसीएन-वार सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की पुनर्निर्धारित उत्पादन लागत पर परिकलित किया गया है। एस्सिलोर समूह द्वारा निर्यातित पीसीएन के लिए भी इसी पीसीएन-वार परिकलित सामान्य मूल्य को अपनाया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत

42. प्रत्येक सहभागी निर्यातक (एस्सिलोर समूह के अतिरिक्त) की निर्यात कीमत अंतिम जांच परिणामों में उसके सत्यापित पीसीएन-वार (PCN-Wise) निर्यात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई थी। ये निर्धारण प्रतिप्रेषण के दायरे में नहीं हैं और अपरिवर्तित रहते हैं।

43. **एस्सिलोर (Essilor) समूह:** अंतिम जांच परिणामों में, एस्सिलोर समूह की निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि एस्सिलोर समूह को असहयोगी माना गया था। अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में, एस्सिलोर समूह की निर्यात कीमत अब उसके उत्पादकों और संबंधित निर्यातकों के निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों में प्रस्तुत पीसीएन-वार सूचना के आधार पर निर्धारित की गई है।

44. संबद्ध वस्तु के निर्यात भारत में असंबंधित ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित आयातकों को भी किए गए हैं। एस्सिलोर (Essilor) समूह ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबंधित व्ययों, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पैकिंग के कारण समायोजनों का, तथा See World Optical Co., Ltd. द्वारा किए गए और Essilor India Private Limited द्वारा पुनर्विक्रय किए गए निर्यातों के संबंध में, पुनर्विक्रय पर संबंधित आयातक को हुई हानि के कारण समायोजन का दावा किया है। दावा किए गए समायोजनों की जांच रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के संदर्भ में की गई है और उन्हें प्रमाणित पाई गई सीमा तक स्वीकार किया गया है।

45. इस प्रकार निर्धारित पीसीएन-वार (PCN-wise) कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत की तुलना पीसीएन-

वार (PCN-wise) सामान्य मूल्य के साथ करके पीसीएन-वार (PCN-wise) पाटन मार्जिन और, तत्पश्चात, समग्र रूप से एस्सिलोर (Essilor) समूह के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन प्राप्त किया गया है, क्योंकि पाटन मार्जिन संबंधित उत्पादकों के समूह के लिए विशिष्ट है (अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 का पैरा 32)।

छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. और Shanghai Conant Optics Co., Ltd. के अतिरिक्त, चीन जन. गण. के सभी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है। चूंकि Carl Zeiss Vision (China) Limited ने प्रतिप्रेषण कार्यवाही में भाग नहीं लिया, इसलिए पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजन हेतु उसके परिकलित सामान्य मूल्य (सीएनवी) की गणना नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (रु./पीस)	निवल निर्यात कीमत (रु./पीस)	पाटन मार्जिन (रु./पीस)	पाटन मार्जिन %	रेंज (%)
1.	a. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. b. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	[5-15]
2.	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	न्यूनतम सीमा से कम
3.	Carl Zeiss Vision (China) Limited	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
4.	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (रु./पीस)	निवल निर्यात कीमत (रु./पीस)	पाटन मार्जिन (रु./पीस)	पाटन मार्जिन %	रेंज (%)
5.	एस्सिलोर समूह a. Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. b. See World Optical Co., Ltd. c. Jiangsu Future Vision Co., Ltd. d. Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
6.	अन्य सभी	[***]	[***]	[***]	[***]	60-70

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

47. घरेलू उद्योग ने क्षति मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. अंतिम जांच परिणामों में निर्धारित एनआईपी को कम आंका गया था, जिसके परिणामस्वरूप सभी भागीदार निर्यातकों के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन और शून्य शुल्क आया।

b. प्राधिकारी को एस्सिलोर समूह सहित सभी भागीदार निर्यातकों के लिए एनआईपी, परिकलित सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्निर्धारण करना चाहिए।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. कोनांट (Conant) समूह और वेइक्सिंग (Weixing) समूह के क्षति मार्जिन मूल जांच में उनके सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक निर्धारित किए गए थे ।

b. मूल जांच में डीडीएमओ (DDMO) का क्षति मार्जिन नकारात्मक था, और उसका पहुंच मूल्य अपरिवर्तित रहता है। एनआईपी के पुनर्निर्धारण से घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई लागतों

को स्वतः शामिल किया जाना उचित नहीं ठहरता ।

c. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी पर भी, एस्सिलोर समूह के आयातों की पहुंच कीमत उससे काफी ऊपर रहेगी, और उसके निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि एस्सिलोर (Essilor) समूह के कीमत स्तर क्षति की दृष्टि से कोई चिंता उत्पन्न नहीं करते ।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

49. पहुंच मूल्य और उपर्युक्त पुनर्निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

50. चूंकि Carl Zeiss Vision (China) Limited ने प्रतिप्रेषण कार्यवाही में भाग नहीं लिया, इसलिए क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजन हेतु उसकी एनआईपी की गणना नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है।

51. एस्सिलोर (Essilor) समूह का पहुंच मूल्य खंड छ.3.2 में उल्लिखित सूचना के आधार पर निर्धारित पीसीएन-वार (PCN wise) सीआईएफ (CIF) निर्यात कीमत में लागू मूल सीमाशुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार जोड़कर निर्धारित किया गया है, और एस्सिलोर (Essilor) समूह के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन निर्धारित करने हेतु उसकी तुलना पीसीएन-वार (PCN wise) एनआईपी के साथ की गई है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (रु./पीस)	पहुंच मूल्य (रु./पीस)	क्षति मार्जिन (रु./पीस)	क्षति मार्जिन %	रेंज (%)
1.	a. Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. b. Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
2.	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
3.	Carl Zeiss Vision (China) Limited	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (रु./पीस)	पहुंच मूल्य (रु./पीस)	क्षति मार्जिन (रु./पीस)	क्षति मार्जिन %	रेंज (%)
4.	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
5.	एस्सिलोर समूह a. Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd. b. See World Optical Co., Ltd. c. Jiangsu Future Vision Co., Ltd. d. Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd.	[***]	[***]	[***]	[***]	नकारात्मक
6.	अन्य सभी	[***]	[***]	[***]	[***]	50-60

झ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुति

52. घरेलू उद्योग ने दिनांक 3 नवंबर 2026 की अपनी टिप्पणियों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

a. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य का पुनर्निर्धारण किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व में निर्धारित एनआईपी और सामान्य मूल्य कम थे और उनके परिणामस्वरूप शुल्क की मात्रा अनुचित रूप से कम रही थी। पुनर्निर्धारित एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य की अंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की जाए, और संशोधित एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए शुल्क की मात्रा में संशोधन किया जाए।

b. यदि प्राधिकारी एनआईपी में कोई और परिवर्तन करते हैं, तो उसकी सूचना घरेलू उद्योग को दी जाए और उसे अपने प्रस्तुतियों को अनुपूरित करने का अवसर प्रदान किया जाए।

c. यद्यपि परिकलित सामान्य मूल्य और एनआईपी का पुनर्निर्धारण किया गया है, फिर भी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के मार्जिन नकारात्मक बने हुए हैं। घरेलू उद्योग के पास

उपलब्ध बाजार सूचना के अनुसार, Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd. और Shanghai Conant Optics Co., Ltd. ने भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पेशकश [***] अमरीकी डॉलर प्रति पीस की कीमत पर की है, जो निर्धारित एनआईपी से काफी कम है। कुछ भागीदार उत्पादकों की बाजार कीमत एनआईपी से कम है और उनके मार्जिन नकारात्मक नहीं हो सकते। चूंकि घरेलू उद्योग की भागीदार उत्पादकों के आयात आंकड़ों तक पहुंच नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ऐसे उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करें और उनके मार्जिन का पुनर्निर्धारण करें।

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुति

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दिनांक 3 नवंबर 2026 की अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रस्तुति किए हैं:

a. प्रकटन विवरण में यह दर्ज है कि कोनांट (Conant) समूह और वेइक्सिंग (Weixing) समूह की निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य और सहयोग स्थिति की मूल जांच में जांच, सत्यापन और व्यक्तिगत रूप से निर्धारण किया गया था और उन्हें पुनः नहीं खोला गया है। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों में इसकी पुष्टि करें। इन टिप्पणियों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, संशोधित प्रकटन विवरण जारी किया जाए और टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया जाए।

b. कोनांट (Conant) समूह का पाटन मार्जिन सकारात्मक और वेइक्सिंग (Weixing) समूह का न्यूनतम सीमा से कम निर्धारित किया गया है, जबकि दोनों के क्षति मार्जिन नकारात्मक निर्धारित किए गए हैं। चूंकि क्षति मार्जिन नकारात्मक हैं, इसलिए कमतर शुल्क नियम के अंतर्गत कोई पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है। प्राधिकारी इन मार्जिनों की पुष्टि करें और इन निर्यातकों के लिए शून्य पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें।

c. नियमावली के नियम 14 के अनुसार, यदि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम है या क्षति नगण्य है, तो प्राधिकारी के लिए जांच समाप्त करना अपेक्षित है। इन निर्यातकों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश किए बिना जांच समाप्त की जाए, और शुल्क तालिका में उनके लिए शून्य शुल्क निर्धारित किया जाए।

d. प्राधिकारी प्रतिप्रेषण कार्यवाही के दायरे के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - दोनों रिमांड कार्यवाहियों को समेकित करना, कार्यवाहियों को आस्थगित रखने के अनुरोध को अस्वीकार करना, एस्सिलोर समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानना, उसके उत्पादकों, संबंधित

निर्यातकों/व्यापारियों और संबंधित आयातकों के प्रश्नावली उत्तरों पर भरोसा करना, उसकी निर्यात कीमत का निर्धारण और अनुमत समायोजन तथा परिणामस्वरूप ऋणात्मक पाटन मार्जिन और ऋणात्मक क्षति मार्जिन। तदनुसार, एस्सिलोर समूह पर शून्य (NIL) पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सकती है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। उठाए गए तर्कों की जांच नीचे प्रासंगिक समझी गई सीमा तक की गई है। संक्षिप्तता के लिए, उन टिप्पणियों की पुनः जांच नहीं की गई है जो केवल पूर्व प्रस्तुतियों को दोहराती हैं और जिनकी इन जांच परिणामों में पहले ही जांच की जा चुकी है। डीडीएमओ (DDMO) और Carl Zeiss Vision (China) Limited से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

55. **भागीदार उत्पादकों के मार्जिन के सत्यापन और पुनर्निर्धारण का घरेलू उद्योग का प्रस्तुति:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय अधिकरण ने अंतिम आदेश सं. 50782/2026 के माध्यम से अंतिम जांच परिणामों को केवल उस सीमा तक अपास्त किया जिस सीमा तक भागीदार निर्यातकों पर शून्य पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी, और घरेलू उद्योग को एनआईपी निर्धारित करने के तरीके पर उत्तर देने का अवसर देने के पश्चात, मामले को एनआईपी के नए सिरे से निर्धारण हेतु प्राधिकारी को वापस भेजा। माननीय अधिकरण ने भागीदार निर्यातकों की निर्यात कीमत, निवल निर्यात कीमत या पहुंच मूल्य की पुनः जांच का निदेश नहीं दिया। इनका निर्धारण मूल जांच में प्रत्येक निर्यातक के सत्यापित पीसीएन-वार (PCN-wise) निर्यात आंकड़ों के आधार पर किया गया था, और घरेलू उद्योग ने माननीय अधिकरण के समक्ष उनके निर्धारण को चुनौती नहीं दी थी।

56. तदनुसार, वर्तमान कार्यवाही का दायरा दिनांक 14 अगस्त 2026 की प्रतिप्रेषण कार्यवाही अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्रतिप्रेषण को एनआईपी के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार तक सीमित रखा गया था। इस चरण पर भागीदार निर्यातकों की निर्यात कीमत या पहुंच मूल्य को पुनः खोलना माननीय अधिकरण के निदेशों और हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित दायरे से परे होगा। अतः, प्राधिकारी माननीय अधिकरण के आदेशों के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही करना उचित समझते हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने [***] अमरीकी डॉलर (USD) प्रति पीस की कथित पेशकश कीमत के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है, और न ही यह दर्शाया है कि वह किस अवधि से संबंधित है, जबकि मार्जिन जांच की अवधि के दौरान के सत्यापित निर्यात सौदों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अतः, घरेलू उद्योग का प्रस्तुति स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग

ने पूर्व में कार्यवाही के दायरे को एनआईपी के पुनर्निर्धारण तथा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में परिणामी संशोधनों तक सीमित रखने पर सहमति दी थी।

57. तदनुसार, प्राधिकारी यह दर्ज करते हैं कि चूंकि माननीय अधिकरण ने भागीदार निर्यातकों (एस्सिलोर समूह के अतिरिक्त) की निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य को पुनः खोलने का निदेश नहीं दिया है, इसलिए माननीय अधिकरण के अंतिम आदेश और दिनांक 14 अगस्त 2026 की प्रतिप्रेषण कार्यवाही अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में उनका पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है। मूल जांच में यथाजांचित, सत्यापित और व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कोनांट (Conant) समूह और वेइक्सिंग (Weixing) समूह की निर्यात कीमत अपरिवर्तित रहती है, और उनकी सहयोगी स्थिति और प्रश्नावली उत्तरों को पुनः नहीं खोला गया है। एस्सिलोर (Essilor) समूह की निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के अनुपालन में किया गया है।

58. **एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य की पुष्टि:** प्रकटन विवरण में यथापुनर्निर्धारित और यथाप्रकट एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य को इन जांच परिणामों में बिना किसी परिवर्तन के अपनाया गया है। अतः, एनआईपी में किसी परिवर्तन की स्थिति में आगे अवसर दिए जाने का घरेलू उद्योग का प्रस्तुति उत्पन्न नहीं होता। शुल्क की मात्रा में संशोधन के प्रस्तुति के संबंध में, शुल्क का निर्धारण नियमावली के नियम 4(d) और नियम 17(1)(b) के अनुसार, क्रमशः ऊपर खंड छ और ज में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर किया गया है।

59. **नियम 14 के अंतर्गत समाप्ति का अनुरोध:** नियमावली का नियम 14 जांच की समाप्ति का प्रावधान करता है। वर्तमान कार्यवाही उस जांच से उत्पन्न प्रतिप्रेषण कार्यवाही है जिसकी परिणति दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम जांच परिणामों और पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण में हुई थी, जिसमें संबद्ध देश के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर दिए गए निष्कर्षों को माननीय अधिकरण द्वारा नहीं छेड़ा गया है। वर्तमान कार्यवाही माननीय अधिकरण द्वारा वापस भेजे गए मुद्दों तक सीमित है। जहां किसी व्यक्तिगत निर्यातक का क्षति मार्जिन नकारात्मक/न्यूनतम सीमा से कम है, या उसका पाटन मार्जिन नकारात्मक/न्यूनतम सीमा से कम है, वहां कमतर शुल्क नियम के अंतर्गत परिणाम यह है कि उस निर्यातक पर कोई शुल्क नहीं लगता। अंतिम जांच परिणामों के अनुरूप, प्राधिकारी शुल्क तालिका में ऐसे निर्यातकों के लिए शून्य शुल्क की सिफारिश करते हैं।

60. **प्रकटन विवरण में दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि के अनुरोध:** कोनांट (Conant) समूह, वेइक्सिंग (Weixing) समूह और एस्सिलोर (Essilor) समूह ने प्रकटन विवरण में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि

का प्रस्तुति किया है। इन निष्कर्षों की, जिनमें प्रतिप्रेषण का दायरा, दोनों प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों का समेकन, कार्यवाही को स्थगित रखने के प्रस्तुति की अस्वीकृति, एनआईपी गणनाओं का प्रकटन, एस्सिलोर (Essilor) समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानना, एस्सिलोर (Essilor) समूह की संस्थाओं के प्रश्नावली उत्तरों पर भरोसा, उसकी निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण, तथा प्रत्येक सहभागी निर्यातक का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से संबंधित निष्कर्ष शामिल हैं, जांच की गई है और उन्हें ऊपर खंड D, F, G और H में दर्ज किया गया है तथा इन अंतिम जांच परिणामों में उनकी पुष्टि की जाती है।

ञ. निष्कर्ष

61. ऊपर दर्ज किए गए प्रस्तुतियों के अनुसार, प्रदान की गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, तथा माननीय अधिकरण के अंतिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

a. माननीय अधिकरण के दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 और अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 का अनुपालन किया गया है। केस आईडी AD/AA/001/2026 और AD/AA/002/2026 में प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों को समेकित किया गया है और इन साझा अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से उन पर विचार किया गया है।

b. घरेलू उद्योग को एनआईपी निर्धारित करने के तरीके पर उत्तर देने का उचित अवसर प्रदान किया गया, और फॉर्मेट B और फॉर्मेट D सहित एनआईपी की पूर्ण गणनाओं का प्रकटन किया गया।

c. प्रतिप्रेषण का दायरा एनआईपी के नए सिरे से निर्धारण और सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्कों पर उसके परिणामी प्रभाव तक सीमित है, जिसमें एस्सिलोर (Essilor) समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानते हुए उसके मार्जिनों का निर्धारण शामिल है। दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम जांच परिणामों में अन्य सभी मुद्दों पर दिए गए निष्कर्ष, जिनमें विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु, घरेलू उद्योग की स्थिति (standing), क्षति और कारणात्मक संबंध शामिल हैं, अपरिवर्तित रहते हैं।

d. माननीय अधिकरण ने सहभागी निर्यातकों (एस्सिलोर समूह के अतिरिक्त) की सहयोग स्थिति, प्रश्नावली उत्तरों, निवल निर्यात कीमत या पहुंच मूल्य को पुनः खोलने का निर्देश नहीं दिया है। अंतिम आदेश और दिनांक 14 अगस्त 2026 की प्रतिप्रेषण कार्यवाही अधिसूचना के अनुसार इनका पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है।

e. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष Writ Petition (C) 14723/2025 के लंबित रहने तक प्रतिप्रेषण कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्तुति स्वीकार नहीं किया गया है।

f. एस्सिलोर (Essilor) समूह को सहयोगी उत्पादक/निर्यातक माना गया है, और उसके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पहुंच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण एस्सिलोर (Essilor) समूह में शामिल उत्पादकों, संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों और संबंधित आयातकों के प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर किया गया है।

g. परस्पर विनिमेय कच्चे माल की समूह आधार पर खपत और गैर-पीयूसी (non-PUC) के रूप में त्रुटिवश सूचित व्ययों पर विचार करते हुए, नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग की एनआईपी का पुनर्निर्धारण ₹[***] प्रति पीस (भारित औसत) पर किया गया है। जांच की अवधि के वास्तविक क्षमता उपयोग को अपनाने और वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य विनिर्माण उपरिव्ययों को परिवर्ती लागत मानने के दावे स्वीकार नहीं किए गए हैं।

h. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ, घरेलू उद्योग की पुनर्निर्धारित उत्पादन लागत पर परिकलित किया गया है।

i. कोनांट समूह का पाटन मार्जिन सकारात्मक है। एस्सिलोर समूह सहित अन्य भागीदार निर्यातकों के पाटन मार्जिन नकारात्मक या न्यूनतम सीमा से कम हैं। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन 60-70% की रेंज में है।

j. एस्सिलोर (Essilor) समूह सहित सभी भागीदार निर्यातकों के क्षति मार्जिन नकारात्मक हैं। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन 50-60% की रेंज में है।

k. कमतर शुल्क नियम लागू करते हुए, सहभागी उत्पादक-निर्यातकों पर कोई शुल्क अपेक्षित नहीं है, और अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुल्क नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार है।

ट. सिफारिशें

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिप्रेषण कार्यवाही शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई, तथा माननीय अधिकरण द्वारा वापस भेजे गए मुद्दों पर सूचना प्रदान करने और प्रस्तुति करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया। माननीय अधिकरण के अंतिम आदेशों और नियमावली

के प्रावधानों के अनुसार प्रतिप्रेषण कार्यवाही संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी ऊपर दर्ज निष्कर्षों पर पहुंचे हैं।

63. नियमावली के नियम 4(d) और नियम 17(1)(b) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर हो। तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि दिनांक 27 दिसंबर 2022 की अधिसूचना सं. 32/2022-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन किया जाए ताकि उक्त अधिसूचना की वैधता की शेष अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहीत किया जा सके।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	**शीर्ष/ उप-शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**शुल्क राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9001 5000*	अर्ध-तैयार नेत्र लेंस**	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Carl Zeiss Vision (China) Limited	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर

अगोपनीय

क्र. सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
6.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Jiangsu Youli Optics Spectacles Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
7.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	See World Optical Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
8.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Jiangsu Future Vision Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
9.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	Chemilens (Jiaxing) Co., Ltd.	शून्य	पीस	अमरीकी डॉलर
10.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 से 9 पर उल्लिखित उत्पादकों के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	0.30	पीस	अमरीकी डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
11.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	0.30	पीस	अमरीकी डॉलर

**सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।*

*** विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक से बने अर्ध-तैयार नेत्र लेंस हैं। अर्ध-तैयार नेत्र लेंस ऐसे अर्ध-तैयार ब्लैंक होते हैं जिनकी अग्र सतह नेत्र-गुणवत्ता की होती है और पृष्ठ सतह अपरिष्कृत होती है। तैयार लेंस बनाने के लिए अर्ध-तैयार ब्लैंक की सतह को वांछित प्रिस्क्रिप्शन पावर के अनुसार तैयार किया जाता है। अर्ध-तैयार नेत्र लेंस अनेक रूपों में आते हैं, जैसे विभिन्न अपवर्तनांकों, सेगमेंट शैलियों और आकारों वाले सिंगल विज़न, बाइफोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकार।*

निम्नलिखित प्रकार के उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखे गए हैं:

(i) 1.60 से अधिक अपवर्तनांक वाले अर्ध-तैयार नेत्र लेंस।

(ii) पोलराइज़्ड लेंस - पोलराइज़्ड लेंसों में एक विशेष रासायनिक अणु होता है जो लेंस से होकर अनावश्यक प्रकाश को गुजरने से रोकने के लिए विशेष रूप से पंक्तिबद्ध होता है। केवल वे प्रकाश किरणें जो आंखों तक ऊर्ध्वाधर रूप से पहुंचती हैं, उन छिद्रों से होकर गुजर सकती हैं। ये लेंस किसी भी सतह से परावर्तित होने वाली सभी क्षैतिज प्रकाश तरंगों को रोक देते हैं। इस फ़िल्टरिंग के परिणामस्वरूप, दिखाई देने वाली छवि सामान्य से थोड़ी गहरी होती है। पोलराइज़्ड लेंसों से वस्तुएं अधिक स्पष्ट और साफ़ दिखाई देती हैं, और बारीकियां देखना आसान होता है।

(iii) पॉलीकार्बोनेट लेंस - पॉलीकार्बोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जो अत्यंत मज़बूत होता है और चश्मे के लेंसों, कार की हेडलाइटों तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे अनेक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट कांच की तुलना में 200 गुना से अधिक मज़बूत होता है और प्रायः अन्य प्रकार के लेंसों से पतला होता

है। चूंकि हल्के और पतले चश्मों के नाक से फिसलने की संभावना कम होती है और वे रोज़ाना पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पॉलीकार्बोनेट लेंसों का व्यापक रूप से चश्मे के लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है।

(iv) ट्रांज़िशन लेंस - ट्रांज़िशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में गहरे हो जाते हैं और मंद प्रकाश या अंधेरे में हल्के हो जाते हैं। ये धूप के चश्मों के लिए आदर्श हैं, क्योंकि इनसे प्रिस्क्रिप्शन चश्मे के ऊपर धूप का चश्मा पहनने या दोनों के बीच बार-बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हानिकारक चकाचौंध को भी कम कर सकते हैं, जिससे यह एक उत्कृष्ट लेंस सामग्री बन जाती है।

(v) उच्च और विशेष प्रयोजन लेंस - विशेष प्रयोजन लेंस भिन्न-भिन्न फोकस दूरियों या विशेषताओं वाले वाइड-एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जो विषय-वस्तु के आकार को बदलते हैं और सामान्यतः कैमरों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उद्देश्य विशेष प्रभाव उत्पन्न करना होता है, जैसे अधिक विषय-वस्तु को शामिल करना - वाइड एंगल, दूर की विषय-वस्तुओं की बड़ी छवियां बनाना - टेलीफोटो, वैकल्पिक रूप से छवि का आकार बदलना - ज़ूम, और छोटी वस्तुओं की बड़ी छवियां बनाना - मैक्रो एनलार्जिंग।

64. उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक (Invoice) प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक (Invoice) जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से की गई हो, दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नलिखित रूप में अंकित होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में शामिल, भारत को निर्यात हेतु बेचे गए अर्ध-निर्मित नेत्र लेंसों (सेमी-फिनिश्ड ऑफ्थैल्मिक लेंस) की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जनवादी गणराज्य में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।'

यदि ऐसा कोई बीजक (Invoice) प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

65. शुल्क के प्रयोजन हेतु आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत

सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथानिर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3A, 8B, 9 और 9A के अंतर्गत शुल्कों के अतिरिक्त सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ठ. आगे की प्रक्रिया

66. इन अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 20-11-2026 16:01:30

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी